न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर कैंप भोपाल

1. रामसेवक आ. घासीराम वयस्क
2. बाबूलाल आ. घासीराम वयस्क
3. मोहनलाल आ. घासीराम वयस्क
4. राकेश आ. बाबूलाल वयस्क
5. कृष्णगोपाल आ. रामसेवक वयस्क

सभी निवासी शाहगंज नई बस्ती तह बुधनी जिला सीहोर..पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

श्रीमति उमाबाई आयु लगभग 55 वर्ष
पुत्री श्री घासीराम पत्नि श्री गौरीशंकर मिश्रा
निवासी ई-612/613 सबरी नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी
पीपुल्स स्कूल के पास भानपुर भोपाल..उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म. प्र.भू.रा.स.

अभिभावक श्री ....
द्वारा आज दिनांक 18
को पेश।

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न निवेदन करते हैं:-

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर स्थित भूमि खसरा नं. 9 ,234/1, 967/234, 233, 308, 310, 311, 508 एवं 578 रकबा क्रमशः 5.93 एकड़, 1.53 एकड़, 2.33 एकड़, 3.19 एकड़, 0.21 एकड़, 1.09 एकड़, 1.62 एकड़, 0.17 एकड़, 3.11 एकड़ कुल रकबा 19.18 एकड़ के उत्तराधिकार क्रम में सह स्वामी हैं तथा पश्चातवर्ती स्थिति में उक्त भूमियों का पुनरीक्षणकर्तागण के मध्य आपस में बटवारा हुआ जिसके लिए राजस्व अभिलेखों में विधिवत् इंद्राज हुए उक्त इंद्राज क्रमशः नामांतरण संशोधन क्रमांक 11 दिनांक 9.02.2010 एवं संशोधन क्रमांक 22 दिनांक 5.05.11 के माध्यम से हुए है।

2. यह कि उत्तरवादी उमाबाई उषाबाई नहीं हैं और न ही उमाबाई का कोई नाम इन पुनरीक्षणकर्तागण के साथ अभिलेख में दर्ज है। इसके बावजूद उत्तरवादी द्वारा उक्त दोनों संशोधनों के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा एक विधि विरूद्ध एवं अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय बुधनी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें इन पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जाकर यह आपत्ति की गई कि उत्तरवादी अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी द्वारा दो विभिन्न संशोधन पंजियों को एक ही अपील में चुनौती दी गई है जबकि दोनों संशोधन प्रथक-प्रथक दिनांक के होकर उनके माध्यम से प्रथक-प्रथक आदेश पारित हुए हैं और उत्तरवादी ने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी उसके माध्यम से अभिलेख में दर्ज उषाबाई के नाम को उमाबाई कराने का भी निवेदन किया था ऐसी स्थिति में प्रथम अपील प्रचलन योग्य नहीं थी।

इन पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और अपील को प्रचलन योग्य न मानते हुए निरस्त किया उक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक ..05.16 को द्वितीय अपील में चुनौती दी गई जिसके आधार पर अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 632/अपील/2015-16 दर्ज किया गया। इसी दौरान उत्तरवादी द्वारा ..ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार वाद क्रमांक 3अ/2017 न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– तीन / निगरानी / सीहोर / 2018 / 1283

रामसेवक आदि विरूद्ध श्रीमती उमाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
03–06–2019	आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री आर.पी.यादव अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राहयता की बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 632/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत नामांतरण पंजी क्रमांक 55 आदेश दिनांक 29–07–1975 से उनके वारिसानों (3 पुत्रों एवं 1 पुत्री) के नाम फौती नामांतरण से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। इसके उपरांत नामांतरण पंजी क्रमांक 19 में प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 22–06–2006 के द्वारा बटवारे में अनावेदिका को छोड़कर तीनों भाईयों के नाम बटवारा किया गया । इसके उपरांत नामांतरण पंजी क्रमांक 11 आदेश दिनांक 18–01–2010 से आवेदक क्रमांक 1 ने अपने पुत्र का नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 22 आदेश दिनांक 23–05–2011 से आवेदक क्रमांक 2 के पुत्र का नाम संहिता के प्रावधानों के विपरीत बटवारा नामांतरण किया है। इस प्रकरण में मूल खातेदार के वारिस उमाबाई का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज था, जिसमें बाद में नामांतरण पंजी पर हुये अभिलेखों में बिना सुनवाई का अवसर दिये कम कर दिया गया जो नामांतरण नियमों के विपरीत है । इसी कारण अपर आयुक्त ने पंजी पर पारित नामांतरण आदेशों को निरस्त कर मूल खातेदार की मृत्यु के उपरांत हुये नामांतरण पंजी क्रमांक 55 आदेश दिनांक 29–07–1975 को यथावत रखते हुये अपील स्वीकार की है।	

03/6/19